


:: कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ::

—: आदेश :—

वित्त विभाग के आदेश एफ 10(4) गुप-2/एफडी/76/ दिनांक 13.03.84 एवं सशोधित आदेश दिनांक 18.08.89, 02.05.98, 12.09.08 एवं एफ6(6)एफडी /रूल्स/2010 दिनांक: 25.04.2012 के अंतर्गत श्री गोपीराम व्या० इतिहास, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बडू (नागौर) को इनके आवेदन पत्र इस कार्यालय को प्राप्त होने की तिथि 10.01.18 से उनके मूल वेतन का छः प्रतिशत जो अधिकतम रूपये 600/—(अखरे रूपये छः सौ मात्र) तक प्रतिमाह की दर से विकलांग वाहन भत्ता एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है ।

इन्हे आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाशों का उपभोग करने की अवधि का ग्रीष्मावकाश, शीतकालीन अवकाश, मध्यावधि अवकाश तथा स्थानान्तरण/पदौन्नति एवं अन्य किसी कारण कार्यग्रहण नहीं करने की अवधि का तथा निलम्बित अवधि का विकलांग भत्ता देय नहीं होगा



(नथमल डिडेल)

आईएएस


निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

कमोंक:-शिविरा/मा/संस्था/सी-2/इतिहास/ विकलांग भत्ता/17-18

दिनांक:-२२.०२.१८

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग, अजमेर
- 2- जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक-प्रथम) नागौर
- 3- प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक वि०, बडू (नागौर) को कार्मिक का मूल विकलांग प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है ।
- 4- श्री गोपीराम व्या० इतिहास, राउमावि, बडू (नागौर)
- 5- निजी एवं रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर